**प्रेषक,**

**डा0 अनिता भटनागर जैन,**
**अपर मुख्य सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**एस0जी0पी0जी0आई0,**
**लखनऊ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2017**

**विषयः- पी0एल0ए0 में जमा धनराशि की अनुमति।**

**महोदय,**

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0 / एम0एम0 / बजट(2016-17) / 440, दिनांक 01 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-878 / 71-2-17-37 / 2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा एवं शासनादेश संख्या-2080 / 71-2-17-37 / 2017, दिनांक 20 जुलाई, 2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 60.00 करोड (रूपया साठ करोड मात्र) के आहरण की अनुमति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1. उक्त आहरित धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिन कार्यो के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। अन्य मदों में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
2. किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि का उपयोग जिन कार्यो के लिए किया जाना है उसका गुण दोष एवं वास्तविक आवश्यकता / उपयोगिता का पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा तथा विशिष्टियां, मानक तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
3. उपकरण क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तो, वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आहरित धनराशि का उपयोग समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराकर शासन / वित्त विभाग को अवगत कराया जाय।

3- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा कोषागार से आहरण हेतु बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-3 / 1003 / दस-2017 दिनांक 17 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

**( डा0 अनिता भटनागर जैन )**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या-55 / 2017 / 2822(1) / 71-2-17-तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनु. 2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( नीलेश कुमार सिंह )**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।